

5. जिला पंजीयक महालय
 आदेशार्थ प्रस्तुत है।
 बंद लिफाका सेक कस्टडी में रखे जाने के संबंध में
 से निर्धारित ब्यांक जमा करवाकर सिविल प्रकॉर्ट
 अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही
 श्रीगंगानगर ने की है।

3
 सिनाख श्री महेंद्रपाल गुप्ता अधिवक्ता,
 सिविल ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की
 बन्ना सिविल एवं श्री सतपाल सिविल पुत्र श्री मलकीत की
 प्रार्थी की गवाह श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री
 जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

स्वतंत्र दिनांक 23.04.2018 को ही चुका है।
 बन्द वसीयत 28.12.2015 को करवाई थी उनका
 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा
 सिविल पुत्र बदन सिंह जाति जलसिख निवासी 14
 पेश कर निवेदन किया है कि उसके पिता बाबू
 प्रम, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी.पी.क
 पत्र, बरिस प्रमाण पत्र, मूल वसीयत व आई.डी.
 श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण
 जलसिख निवासी 14 जी छोटी तहसील व जिला
 प्रार्थी सरदुल सिंह पुत्र बाबू सिंह जाति

कार्यवाही की जा रही है।
 पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की
 सुलभता के बावत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी
 श्रीमान जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को
 पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा
 व जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक
 निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर
 श्रीगंगानगी

2019/00128

6/18/19

